

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-21/2006

462 / कृ०, पटना, दिनांक 24/01/2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री प्रसन्ना कुमारम,
मेसर्स कोरोमण्डल इन्टरनेशनल लि०,
C&F- वैशाली सीड्स एवं फार्म, लिच्छवी होटल,
डाक बंगला रोड, अनवरपुर, हाजीपुर-844701

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-127-128 दिनांक 21.08.2006 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में Endorsment के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में 20 कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या-127-128 दिनांक 21.08.2006 वैद्यता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत Endorsment किया जाता है।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स कोरोमण्डल इन्टरनेशनल लि०	Acephat 75% SP
2		Carbendazim 50% WP
3		Glyphosat 41 % SL
4		Hexaconazole 5% EC
5		Paraquate Dichloride 24% EC
6		Tricyclazole 75% WP
7		Benomyl 50% WP
8		Chlorephyrifos 50%+Cypermethrin 5% EC
9		Imidacloprid 17.8% SL
10		Malathion 50% EC
11		Mancozeb 75% WP
12		Monocrotophos 36% SL
13		Permethrin 25% EC
14		Phenthoate 50% EC
15		Pretilachlor 50% EC
16		Profenofos 50% EC
17		Profenofos 40%+ Cypermethrin 4% EC
18		Thiophanate Methyl 70% WP
19	मेसर्स बी० ए० एस० एफ०	Imazethapyr 10% SL
20		Imazamox 35%+ Imazethapyr 35% WG

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स कोरोमण्डल इन्टरनेशनल लि, द्वारा-वैशाली सीड्स एवं फार्म, H/O-सुनीता कुमारी, पति-डॉ० विनोद कुमार, छिपीटोला, चौराहा, थाना-हाजीपुर वैशाली (हाजीपुर)

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ५६२

/क०, पटना, दिनांक २५/०१/२०१५, २०१५

प्रतिलिपि- (१) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(२) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(१५)

२८-१-२०१५